भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3127

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

केन्द्रीय वक्फ परिषद को बजटीय आबंटन

3127. श्री राजीव राय:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को विभिन्न वक्फ संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए किए गए बजटीय आबंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए आवंटन हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई मांग का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय वक्फ परिषद के पास कुल कितने ऋण आवेदन लंबित हैं और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा पहले से ही स्वीकृत किए जा चुके ऋणों के लिए संवितरित की जाने वाली लंबित किस्तों की राशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय वक्फ परिषद की वर्षवार कितनी बैठकें हुई हैं?

<u>**उत्तर**</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी अर्थात केंद्रीय वक्फ परिषद, मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के माध्यम से शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (SWSVY) का कार्यान्वयन करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) को जारी सहायता अनुदान और सीडब्ल्यूसी द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत अनुदान मांग का ब्यौरा वर्ष-वार निम्नानुसार है:-

करोड़ रूपये में

योजना	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
मंत्रालय द्वारा (सीडब्ल्यूसी) को जारी जीआईए	शून्य	शून्य	1.00	3.00	3.16
सीडब्ल्यूसी द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई मांग	3.00	3.87	4.35	3.52	5.20

(ग) और (घ): कुल 03 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 387.25 लाख रुपए शामिल हैं। यह राशि शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (SWSVY) के तहत बजटीय प्रावधानों के आधार पर जारी की जाती है।

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठकों की संख्या:-

2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
शून्य	शून्य	4	3	5

*****